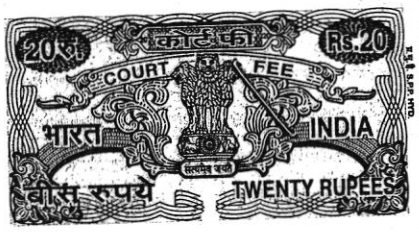

52

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–शिवपुरी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4612

मन्नू बराहर (मृतक) वारिसान–

1– रामसेवक (मृत) पुत्र स्व0 मन्नू
विधिक वारिसान–
अ– आत्माराम पुत्र स्व0 रामसेवक
ब– रंजीत पुत्र स्व0 रामसेवक
स– छितिया पत्नी स्व0 रामवेक

2– रामकिशोर वंशकार पुत्र स्व0 मन्नू वंशकार

3– कोमल (मृत) पुत्र स्व0 मन्नू वंशकार
विधिक वारिसान–
अ– मदनमोहन पुत्र स्व0 कोमल
ब– प्रमोद नारायण पुत्र स्व0 कोमल
स– सुखदेव पुत्र स्व0 कोमल वंशकार
निवासीगण– पुराना बस स्टेण्ड, गॉधी चौक, खनियाधाना, जिला शिवपुरी म0प्र0

–– आवेदकगण

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर,
जिला – शिवपुरी म0प्र0

–– अनावेदक

**न्यायालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/78–79/ /स्व.निग. में पारित आदेश दिनांक 22.06.1979 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1. यहकि, राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तरीय समिति द्वारा नायब तेहसीलदार पिछौर के प्रकरण क्रमांक 57/76–76/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 09.06.1976 को आवेदकगण के पिता मन्नू के नाम खनियाधाना में स्थित भूमि खसरा कमांक 304 मिन रकवा 0.644 एवं 396 मिन रकवा 0.855 हैक्टेयर का बंटन किया गया था।
2. यहकि, नायब तेहसीलदार पिछौर के आदेश को कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण कमांक 75/78–79 में लिया गया था और आवेदकगण

**XXXIX(a)-BR(H)-11**

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** – एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4612 **जिला** – शिवपुरी

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ता |
|---|---|---|
| **18.01.2018** | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। यह निगरानी आदेश दिनांक 22.06.79 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21.12.2017 को 37 वर्ष विलंब से पेश की गई है। विलंब के 37 वर्ष के दीर्घकालीन विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण आवेदक अधिवक्ता द्वारा नहीं बताया गया है, जबकि विलंब के संबध में दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |